<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>29.04.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स गोल्डनलैंड ग्रुप ऑफ कंपनीज की 1428 करोड़ रुपये की वर्तमान कीमत वाली संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इन संपत्तियों में विभिन्न खातों में उपलब्ध 15.06 करोड़ रुपये की बैंक शेष राशि और ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगभग 1000 एकड़ जमीन शामिल है। अचल संपत्तियों में कुछ निर्मित इमारतें और स्ट्रक्चर भी शामिल हैं। अचल संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 1413 करोड़ रुपये है।

ईडी ने सीबीआई, विशेष पुलिस इकाई, कोलकाता द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स गोल्डनलैंड ग्रुप ऑफ कंपनीज और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स गोल्डन लैंड डेवलपर्स लिमिटेड और मेसर्स जीएलपी डेवलपर्स लिमिटेड से जुड़े संदिग्ध व्यक्तियों, संस्थाओं और कंपनियों ने आरबीआई, सेबी, आरओसी आदि जैसे नियामक प्राधिकरणों के किसी भी वैधानिक अधिकार और अनुमोदन के बिना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य के आम जनता से रियल एस्टेट विकास की आड़ में अवैध रूप से और धोखाधड़ी से भारी मात्रा में धन जुटाया है और समूह की कंपनियों में किए गए जमा पर उच्च रिटर्न के झूठे वादे के माध्यम से निर्दोष जमाकर्ताओं को लुभाकर प्लॉट बुकिंग की आड़ में एकमुश्त जमा, आवर्ती जमा, आरडी/मासिक निवेश योजनाएं (एमआईएस), वाईएलवाई योजना आदि का अवैध वित्तीय कारोबार शुरू किया है। सहयोगी कंपनियों और निदेशकों और सहयोगियों के खातों में बड़े पैमाने पर नकदी का डायवर्जन भी पता चला है।

इससे पहले, ईडी ने 08.02.2024 को ओडिशा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर इन संबंधित कंपनियों के समूह के प्रमोटरों/निदेशकों और मालिकों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप नकदी और वाहन जब्त किए गए थे।

आगे की जांच जारी है।